

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

॥ आदेश ॥

मीमांसा, दिनांक 31/7/08

क्रमांक 1346 /1513/08/2/38 : इत विभाग के आदेश क्रमांक 2229/1118/05/2/38 दिनांक 26.8.05 द्वारा तुयना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत डॉ. राधावल्लभ शर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, मीमांसा को संचालनालय स्तर पर लोक तुयना अधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. डॉ. राधावल्लभ शर्मा, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा का स्थानान्तरण प्राचार्य राज्य विधि महाविद्यालय मीमांसा में हो जाने के कारण उक्त आदेश में आंगिक संशोधन करती हुई उनके स्थान पर डॉ. रत. के. शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा संचालनालय मीमांसा को : लोक तुयना अधिकारी : नियुक्त किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशाभिप्रेत

डॉ. महेन्द्र सिंह रघुवंशी
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्र. सं. 1347 /1513/08/2/38 मीमांसा, दिनांक 31/7/08

प्रतिपत्र:-

- माननीय मंत्रीजी के उच्च शिक्षा के निच तहसिलक।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निच तहसिलक।
- सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय मीमांसा।
- समस्त अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालक, मीमांसा, इंदौर, बकलपुर, ग्वालियर, टीका म. प्र.।
- समस्त प्रोक्तकीय महाविद्यालय की ओर तुयनाथ एवं बालननाथ।
- उप सचिव, / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग कक्ष-1, 2 एवं 3 की ओर तुयनाथ अंगोषित।

31/7/08
उप सचिव